



अनुलग्नक 11

सार्वजनिक संस्था(ओं) द्वारा निषेध की घोषणा के संबंध में वचनबद्धता

(निविदाकर्ता द्वारा अपने पत्रशीर्ष पर प्रस्तुत किया जाना है।)

कार्य का नाम: गोमती नगर प्लॉट और सीतापुर रोड प्लॉट, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ में अधिकारियों के आवासीय परिसर का निर्माण

1. मैं/हम.....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि
 - a) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट नहीं है/हैं।
 - b) मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* ने पिछले तीन वर्षों में(बोली जमा करने की अंतिम तिथि) तक भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय के साथ सत्यनिष्ठा संहिता (जैसा कि निविदा में उल्लेखित है) के संबंध में कोई उल्लंघन नहीं किया है।
 - c) यदि मैं/हम या हमारी कोई भी संबद्ध फर्म* भारत या किसी अन्य देश में किसी भी सार्वजनिक संस्थान/निकाय द्वारा, उपर्युक्त कार्य के लिए कार्य सौंपे जाने से पहले या उस समय तक, प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट कर दी जाती है/हैं, तो हम बैंक को लिखित रूप में सूचित करेंगे।
2. मैं/हम.....(बोली लगाने वाले का नाम) यह घोषणा करता/करते हूँ कि मैं/हम या हमारी संबद्ध फर्म*.....(संबद्ध फर्म/फर्मों का नाम)(भारत या किसी अन्य देश में सार्वजनिक संस्थान का नाम और पता) द्वारा प्रतिबंधित/निलंबित/ब्लैकलिस्ट है/हैं और यह प्रतिबंध/निलंबन/ब्लैकलिस्टिंग(दिनांक) तक प्रभावी है। आपकी जानकारी और रिकॉर्ड के लिए ऐसे पत्र की एक प्रति संलग्न है।

(बोली लगाने वाले की मुहर और हस्ताक्षर)

दिनांक

स्थान

(नोट: ऊपर दिए गए दो कथनों में से उस कथन को काट दें जो लागू नहीं होता।)

*संबद्ध फर्म: किसी फर्म को "संबद्ध फर्म" तब कहा जाएगा, यदि उसका प्रबंधन एक ही हो, या उसके काफी या अधिकांश शेयर किसी प्रतिबंधित/निलंबित फर्म के स्वामित्व में हों, और इस आधार पर उस फर्म की निर्णय लेने में निर्णायक भूमिका हो। इसके अतिरिक्त, सभी उत्तराधिकारी फर्मों को भी संबद्ध फर्म ही माना जाएगा।